



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/4262

दिनांक : 25-10-16

प्रति,

प्राचार्य,
महाराजा शिक्षा महाविद्यालय,
देवास रोड़, उज्जैन(म.प्र.)।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता-निरन्तरता आवेदन क्रमांक/49, दिनांक 02.04.2016

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/सम्बद्धता-निरन्तरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.07.2016 एवं 02.09.2016 में प्रस्तुत किया गया, उक्त बैठकों के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016-17 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में सम्बद्धता-निरन्तरता प्रदान की जाती है :-

| क्रं. | पाठ्यक्रम | सीट संख्या |
|-------|----------------|-----------------------------|
| 1. | एम.एड.(अस्थाई) | 50 (एन.सी.टी.ई. के अनुसार) |
| 2. | बी.एड. (स्थाई) | 100 (एन.सी.टी.ई. के अनुसार) |

शर्तें :- 1. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28(3) (i) के अनुसार स्नातकोत्तर स्तर हेतु 10,000/- एवं स्नातक पाठ्यक्रम हेतु रु.25,000/- इस प्रकार कुल राशि 25,000+10,000= 35,000/- अक्षरी पैंतीस हजार रुपये मात्र) की इण्डोमेंट फण्ड की धनराशि की एफ.डी.आर.कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन एवं प्राचार्य के संयुक्त नाम से बनाकर मूल रसीद विश्वविद्यालय लेखा विभाग में जमा करें। यदि उपरोक्तानुसार एफ.डी.आर.पूर्व में जमा करा दी गई हो तो, रसीद प्रस्तुत करें।

उपरोक्त कर्म की पूर्ति एक माह में आवश्यक रूप से अतिशिघ्र पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता-निरन्तरता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

दिनांक 25-10-16

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/4263

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
4. प्राचार्य, संबंधित अग्रणी महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
7. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ।

प्रो. इं. चार्ज (अकादमिक)